(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

NOTIFICATION No. 17/2024-State Tax

Dated: 29/09/2025

No. F.3 (30)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 60 -In exercise of the powers conferred by of sub-section (ii) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 issued vide Gazette Notification F. No 14(101)/LA/2025/jtsecylaw/631-640 dated 19-08-2025, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints, -

- (a) the date of publication of this notification in the Official Gazette, as the date on which the provisions of sections 7, 38 and 40 of the said Act shall come into force; and
- (b) the 1st day of November, 2024, as the date on which the provisions of sections 3 to 6, 8, 10 to 31, 33, 34, 36,37, and 39 of the said Act shall come into force.
- (c) the 1st day of August 2023, as the date on which the provisions of Section 32 of the said Act shall come in force

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh) Dy. Secretary (Fin.)

No. F.3 (30)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 960

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
- 3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.
- 4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 11. Website.
- 12. Guard File.

(Mangej Singh)

Dy. Secretary (Fin.)

Dated: 29/09/2025

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग- IV में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय-1) विभाग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 17/2024-राज्य कर

दिनांक:29/09/2025

फा. सं. 3 (**3**0)/वित (व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/**960** - दिनांक 19-08-2025 की राजपत्र अधिसूचना फा. संख्या 14(101)/एलए/2025/संयु0स0वि0/631-640 द्वारा जारी, दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित को नियत करते हैं, -

- (क) शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 7, 38 और 40 के प्रावधान लागू होंगे; और
- (ख) 1 नवंबर , 2024 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 से 6, 8, 10 से 31, 33, 34, 36, 37 और 39 के प्रावधान लागू होंगे।
- (ग) 1 अगस्त 2023 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 32 के प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मंगेज सिंह)

उप सचिव (वित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः-

- 1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
- 3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
- 4. नि0 स0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
- 6. अपर मुख्य सचिव (वित), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
- 7. सचिव (सा0प्रशा0िव0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशन के अनुरोध सहित।
- 8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
- 9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
- निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,
 नई दिल्ली।
- 11. वेबसाइट।
- 12. गार्ड फाइल।

(मंगेज सिंह)

उप सचिव (वित)